POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति – दिनाकं 31.05.2024

1.थाना सेक्टर-63 पुलिस द्वारा लोगों को फर्जी लोन दिलाने के नाम पर धोखाधडी कर लाखों रूपये एठनें वाले 09 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 लैपटॉप, 16 स्मार्ट फोन, 08 कीपैड फोन, ठगी के 5 लाख 26 हजार रुपये नगद व अन्य सामान बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 30.05.2024 को आवेदिका निवासी सेक्टर-68 नोएडा द्वारा थाना सेक्टर-63 की साइबर हेल्प डेस्क पर आकर सूचना दी गयी कि दिनांक 05.05.2024 को एक व्यक्ति ने आवेदिका के पास आकर बताया कि उसकी पत्नी की तबियत बहुत खराब है, उसने अपने मित्र से पैसे मंगाये हैं लेकिन उसका बैंक खाता न होने के कारण वो उसे रुपये नहीं भेज पा रहा है जिसपर आवेदिका द्वारा उपरोक्त व्यक्ति के कहने पर पैसा अपने खाते में मंगवा लिया गया एवं मनी ट्रॉंसफर की दुकान में जाकर उपरोक्त व्यक्ति के खाते में पैसा ट्रॉंसफर कर दिया गया। कुछ समय पश्चात आवेदिका का खाता फ्रीज हो गया जिसकी जानकारी के लिए जब आवेदिका अपने बैंक की शाखा में गयी तो बैंक वालों ने बताया कि दिनांक 05.05.2024 को आवेदिका के खाते में फ्रॉड का पैसा आया था जिसके कारण साईबर क्राईम पुलिस, बिहार द्वारा आवेदिका का खाता फ्रीज करवा दिया गया है।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 31.05.2024 को थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए लोकल इंटेलिजेंस एवं बीट पुलिसिंग की सहायता से मुद्रा फाईनेंस कम्पनी के नाम पर जरूरतमंद लोगों को फर्जी लोन दिलाने के नाम पर फाईल चार्ज एवं लोन के अन्य खर्चों के नाम पर धोखाधडी कर लाखों रूपये एठनें वाले 09 अभियुक्त 1- शिवकुमार वर्मा 2-रवि सागर 3-कुरूमुर्ति 4-प्रकाश कुमार 5-शेखर यादव 6-श्रीकांत 7-राजशेखर 8-वेंकटेश 9-साई कुमार को साइबर अपराध में प्रयोग किये जा रहे 02 लैपटॉप, 16 स्मार्ट फोन, 08 कीपैड फोन, 16 कापियां, 01 पेन एवं साइबर ठगी कर कमाये गये 05 लाख 26 हजार रुपये नगद सहित भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न स्थानों (ग्राम बंसई सेक्टर-70 नोएडा, डी पार्क सेक्टर-63 नोएडा, एवं द्वारिका मोड दिल्ली) से **गिरफ्तार** किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका--

1. उपरोक्त सभी अभियुक्त मुद्रा फाईनेंस कम्पनी के नाम पर जरूरतमंद लोगो को फोन करके फर्जी लोन दिलाने के नाम पर फाईल चार्ज एवं लोन के अन्य खर्चों के नाम पर खातों में पैसे ट्रॉंसफर कराते थे।
2. अभियुक्त शेखर द्वारा बताया गया कि वह फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया वेबसाईट से जरूरतमन्द लोगों का डाटा निकालकर उसे अपने साथियों व लोन के नाम पर आनलाईन ठगी करने वाले अन्य लोगों को 40 रुपये प्रति आईडी के हिसाब से बेच देता था तथा फ्रॉड का पैसा निकलवाने के लिए एकाउंट और सिम कार्ड भी पैसा लेकर उपलब्ध कराता था।
3. अभियुक्त दिये गये डाटा से लोन के जरूरतमन्द लोगों को कॉल करके फाईल चार्ज व लोन के अन्य चार्ज के बहाने पैसा ऑनलाईन ट्रॉंसफर करवा लेते थे तथा बाद में उस पैसे को सभी लोग मिलकर निर्धारित हिस्सों में बाँट लेते थे।
4. फ्रॉड के पैसों का 12 प्रतिशत खाताधारक को, 40 प्रतिशत कॉल करने वाले को और बाकी का 48 प्रतिशत पैसा अभियुक्त शेखर यादव व मुख्य अभियुक्त शिवकुमार के पास रह जाता था। अभियुक्तो के कब्जे से जो पैसे बरामद हुए हैं वह आनलाईन ठगी के हैं जो अभियुक्तों द्वारा खातों से निकलवाकर रखे हैं जो उनके द्वारा आपस में बाँटने थे।

इसी प्रकार से इन लोगों ने धोखाधडी करके लाखों रुपये कमाये हैं, अभियुक्त मुद्रा फाईनेंस कम्पनी के नाम पर फर्जी लोन दिलाने के नाम पर कालिंग कर ऑनलाईन फ्रॉड करने के शातिर अपराधी है, जिनके आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य जगहों से भी जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. शिवकुमार वर्मा पुत्र भोला प्रसाद निवासी ग्राम अहिया चक, थाना कटरी सहाय, जिला नालन्दा उम्र 28 वर्ष।
2. रवि सागर पुत्र नरसिंहमा निवासी टीचर्स कॉलोनी, थाना महबूबनगर, तेलंगाना उम्र 24 वर्ष।
3. कुरुमुर्ति पुत्र बालचन्द्री निवासी टीचर्स कॉलोनी थाना वनटाउन, जिला महबूबनगर तेलंगाना उम्र 24 वर्ष।
4. प्रकाश कुमार पुत्र मन्यम निवासी संता बाजार वन टाउन, थाना वन टाउन, जिला महबूबनगर, तेलंगाना उम्र 25 वर्ष।
5. शेखर यादव पुत्र राम नरेश यादव निवासी सिद्धार्थ एन्कलेव, नियर गुडलक पब्लिक स्कूल द्वारका मोड़ नई दिल्ली उम्र 36 वर्ष।
6. श्रीकांत पुत्र जमदाग्नि निवासी टीचर्स कॉलोनी, थाना वन टाउन, जिला महबूबनगर तेलंगाना उम्र 26 वर्ष।
7. राजशेखर पुत्र सत्यनारायण निवासी गढ़ियारम, चौरसका, थाना वनटाउन जिला महबूबनगर, तेलंगाना उम्र 24 वर्ष।
8. वेंकटेश पुत्र मुगलाल निवासी टीचर्स कॉलोनी, थाना वनटाउन, जिला महबूबनगर, तेलंगाना उम्र 21 वर्ष।
9. साई कुमार पुत्र पांडू निवासी टीचर्स कॉलोनी, थाना वन टाउन, जिला महबूबनगर, तेलंगाना उम्र 25 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 234/2024 धारा 420/406/467/468/471/120बी भादवि व 66डी आईटी एक्ट थाना सेक्टर-63, नोएडा।

बरामदगी का विवरण--

1. 02 लैपटॉप
2. 16 स्मार्ट फोन (भिन्न-भिन्न कम्पनी के)
3. 08 कीपैड फोन (भिन्न-भिन्न कम्पनी के)
4. 16 कापियां (नाम के सामने मोबाइल नम्बर और उसके सामने धनराशि आदि अंकित है।)
5. 01 पेन
6. 05 लाख 26 हजार रुपये नगद (साइबर ठगी कर कमाये गये)